the Health Ministry and also under the ICDS programme. The ICDS programme is the programme in which the worker comes into daily and intimate personal contact with the mothers and she is able to disseminate this information even more effectively. So, on both fronts this is being done.

तकनीकी/चिकित्सा शिक्षा का हिन्दी में अध्यापन

*302. **श्री ज ाद यादव :** क्या मानव संसाधन ... मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विश्वविद्यालय चिकित्सा और प्रौद्योगिकी की शिक्षा ... करने के लिये तथा अनुसंधान कार्यों में राजभाषा हिंदी को धीरे-धीरे लागू करने के लिये कोई योजना/कार्यक्रम है यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम है कि "क" क्षेत्र में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों-संस्थानों को ऐसी शिक्षा के लिये हिंदी को आरम्भ करके देश में सम्पर्क भाषा के प्रसार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी संबंधी पस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों को उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यमों के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के उपायों पर बल दिया गया है। इस नीति के अनुसरण में अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिये एक अथवा अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उत्तरोत्तर लागू करने के उपाय किये हैं। संतोषजनक कोटि की और पर्याप्त संख्या में तकनीकी पस्तकें तैयार करने और प्रकाशित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी बीच इन विषयों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य अंग्रेजी माध्यम से जारी है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय सभापति जी, प्रश्न "क" "ख" और "ग" तीनों अलग-अलग विषयों पर है। इन्होंने तीनों मिला दिये और एक लाइन में कह दिया कि प्रयास जारी है। तो अब पूछने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जब सरकार निश्चित सवाल का निश्चित उत्तर नहीं दे तो सभापति से संरक्षण की अपेक्षा के और क्या पूछा जा सकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 40 वर्ष हो चुके हैं।

श्री सभापति : चालीस वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं। आप कम बता रहे हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जी हां, ज्यादा हो गये हैं। चालीसवां तो अभी मनाया गया है। इस बीच में अगर राजभाषा अधिनियम का पालन किया गया होता और वार्षिक कार्यक्रम का पालन विश्वविद्यालयों ने किया होता तो आज उसमें पढ़ाई होती अध्यापन होता, पुस्तकें होती और विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम से या प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से परीक्षायें देने का मौका मिलता। इसलिये मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राजभाषा अधिनियम और वार्षिक कार्यक्रम के तहत कितने विश्वविद्यालयों में कितने विषयों में राजभाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई का माध्यम बनाया है और उसके साथ उन माध्यमों के लिये कितनी पुस्तकों के संतोषजनक प्रयास किये हुये हैं। मैं इनकी निश्चित संख्या जानना चाहता हूं।

श्री एल० पी० साही : सभापति महोदय इस दिशा में जो कार्यवाहियां हुई हैं उनका मैं ब्यौरा दे रहा हूं। दस जगहों पर ग्रंथ अकादमियां बनी हैं जिनको केन्द्रीय सरकार ने वित्त उपलब्ध कराया है और इन ग्रंथ अकादमियों में जो विभिन्न जगहों पर हैं उनमें करीब 7452 पुस्तक हिंदी तथा अन्य

क्षेत्रीय भाषाओं में तयार की गयी हैं। इन 7452 पुस्तकों में से 1584 पुस्तकें हिंदी की हैं जिनमें 1185 तो ओरिजनल हैं और 399 अनुवादित हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह पुस्तकें विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को पढ़ने वाली पुस्तकें हैं।

श्री एल० पी० साही : आप जरा धैर्य रखिये। मैं बता रहा हूं कि दूसरा प्रयास टेक्नोलोजी और साइंटिफिक विषयों के लिये अंग्रेजी से एक टमिनोलोजी का प्रयोग करने के बारे में है। उस दिशा में भी 280 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो कमीशन ने की हैं। यह जो पुस्तक हिंदी तथा अन्य भाषाओं में तैयार हुई हैं उनमें पाठ्य पुस्तकों के स्तर की किताबें दूसरी भाषाओं की 3358 हैं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मंत्री जी को मैं स्मरण करा दूं कि प्रश्न में चिकित्सा और प्रौद्योगिकी शब्द हैं।

श्री एल० पी० साही : आप जरा दम रखिये। मैं वहां भी आ रहा हूं।

श्री दीपेन घोष : बिहारी हिंदी में ही समझायेंगे तब ही समझ में आएगा।

श्री सभापति : उसी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री एल० पी० साही : सभापति महोदय जहां तक विश्वविद्यालयों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग का प्रश्न है इस देश के डेढ़ सौ विश्वविद्यालयों में अभी सिर्फ 45 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें पूरी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। अब 105 विश्वविद्यालयों में हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समाज शास्त्र तथा कामर्स की पढ़ाई होती है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : हमको तो समय नहीं मिलेगा दूसरा सवाल करने का।

श्री सभापति : आपने सवाल पूछा है उस का जवाब तो सुनिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जो सवाल पूछा है उसका जवाब मिलना चाहिए।

श्री एल० पी० साही : मैं टेक्नोलोजी पर आ रहा हूं।

SHRI V. GOPALSAMY: How can the students read technical and medical books in Hindi? If you want India to be taken to medievel days, that is a different thing, (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY: The books should be in all regional languages.

MR. CHAIRMAN: You can rise your hand to ask a supplementary. You do it in time.

SHRI V. GOPALSAMY: He is replying to so many supplementaries.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: His reply is not convincing. He should satisfy all regional languages.

MR. CHAIRMAN: He is replying. You use the earphone, Mr. Aladi.

श्री एल० पी० साही : जहां तक चिकित्सा और टेक्नोलाजी का सवाल है अभी तक जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उन में चिकित्सा में 57 और टेक्नोलाजी में 73 और षि में 150 पुस्तकें तैयार हुई हैं। हम लोगों ने यह कोशिश की कि इन पुस्तकों का इवैल्यूएशन करावें कि यह पाठ्यक्रम में यूनिवर्सिटी लेविल पर पढ़ायी जाने लायक हैं या नहीं। उस के लिए एक दाखल जबेकी कायम की गयी थी। उन्होंने क्वालि के बारे में अभी हाल ही में । और वह विचाराधीन है। क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें सवाल है उस में सब से अधिक पुस्तकें मलयालम में तैयार हुई हैं। उन की संख्या है 1009 और उस के बाद तमिल में और तब गुजराती में तैयार हुई हैं। उन की संख्या भी मैं दे सकता हूं। तेलुगु में 614, असमी में 609, गुजराती में 784, मलयालम में 1009, कन्नड़ में 785,

मराठी में 322, उड़िया में 376 और पंजाबी में 177 और तमिल में 110, यह पुस्तक क्षत्रीय भाषाओं में तैयार हुई है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं सेकेण्ड सप्लीमेंटरी पूछूगा **(व्यवधान)** यह ट्रेन लेट है देवनागरी में लिखा तो हिन्दी हो गई । या इंडिया दैट इज भारत, यह जब हिन्दी ही है । आप इसको न भूलें । जो वर्तमान है उस का विरोध करने के लिये मैं तैयार नहीं । उस को समझकर ही कहता हुं । तो मेरा सवाल है कि चिकित्सा और प्रौद्योगिकी की अपनी भाषाओं में कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है और कितने विषयों में पढ़ाई हो रही है यह मेरा सवाल है । अभी तो श्रीमन्, आई आई टी के छात्र प्रवेश परीक्षा भी हिन्दी में या भारतीय भाषाओं में नहीं दे सकते है परीक्षा देने की बात तो छोड़ ही दीजिए । विद्यार्थी इस के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं ने लिख कर दिया। उनको आश्वासन दिया गया है उन के लिए तो आप कुछ करिये। दुनिया में कौन सा ऐसा स्वतंत्र देश होगा जहां अपनी राजकीय भाषा में जिस की भाषा प्राचीन हो, पौराणिक हो अर्वाचीन हो, उस भाषा में भी किसी छात्र को प्रवेश परीक्षा देने की भी अनुमति न हो। इस लिए मेरा पहला सवाल जो है उस के लिए आप बहलाइये नहीं । सीधा जवाब दीजिए । आप ने कितने विश्वविद्यालयों में चिकित्सा और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई राजकीय भाषा या भारतीय भाषाओं में होती है यह मेरा पहला सवाल है और जो पुस्तकों का विवरण आप ने दिया है उस में कितनी पुस्तकें ऐसी हैं जो चिकित्सा या प्रौद्योगिकी की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती हैं ।

श्री एल० पी० साही : श्रीमन्, मैंने पहले भी उत्तर दिया है, लेकिन मैं फिर उसको दोहरा रहा हुं । अभी तक टेक्निकल ऐजुकेशन, प्राविधिक शिक्षा का जहां तक सवाल है, उसमें कुड़की युनिवर्सिटी ने अंडर-ग्रेजयट लेवल पर इसको चालू किया है दूसरी जगहों पर टेक्निकल ऐजुकेशन में हिन्दी या भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होने की खबर नहीं है ।

जहां तक चिकित्सा विश्वविद्यालयों का सवाल है, इंडियन मेडिकल काउंसिल ने अभी, यह कहा है कि हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम भारतीय भाषाओं में स्विच ओवर करें, इसमें स्विच ओवर करने के लिए हमको और समय लगेगा अभी वह अंग्रेजी में ही चल रही है ।

श्री सभापति : वह प्रवेश परीक्षा के बारे मे पूछ रहे हैं...

श्री एल० पी० साही : जहां तक आई० आई०टी० की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, उसके बारे में फरवरी में एक कमेटी बनी है यह देखने के लिए कि प्रवेश परीक्षा में भारतीय भाषाओं को कैसे लागू किया जाए। उसमें एक अलग सब्जेक्ट फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथिमेटिक्स के अलावा अंग्रेजी भी है, उसे हटा देने की बात है। अगर कुछ और जानकारी आप चाहते हैं तो वह इस संबंध में मैं दे सकता हुं ।

श्री सभापति : वह आप बाद में बात कर लीजिए। दोनों बिहार के हैं आप ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैं दूसरा सप्लीमेंट्री यह ....

श्री सभापति : श्री निर्मल चटर्जी । आपका हो गया । आपने 11 मिनट ले लिए हैं इस सवाल पर ... **(व्यवधान)**

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सभापति जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये सवाल का जवाब अलग ही दे रहे हैं। मैंने अभी पहला ही सवाल पूछा है... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : आप दूसरो का हक नहीं छीन सकते । आप अब बैठ जाइए । Shri Nirmal Chatterjee.

SHRI K. MOHANAN: Sir, I raised my hand first. But you are giving the first chance to him. This is not proper, Sir.

MR. CHAIRMAN: Because he is older than you.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: And also I am retiring earlier than him. Sir, associated with this question is, in how many institutions of higher learning, including universities, and to what degree, the local languages or regional languages, whatever you may say, are used as medium of instruction?

SHRI L. P. SHAHI: As I said earlier, only in 45 out of 100 universities in this country, English is uesd as the medium of instruction. In other universities, at different stages, the regional language or Hindi is being used for teaching humanities, commerce and social sciences.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: What about post-graduate institution?

SHRI L. P. SHAHI: In post-graduate institutions, it is not so except in the languages.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: The fundamental education policy of the Centre is, when you switch over from English, all the national languages, including Tamil, Bangla and Malayalam should be adopted as the medium of instruction, not only for higher studies but for all entrance examinations also. I would like to have a categorical assurance from the Minister that when there is a switch-over from English to other languages, Government will come forward, without any discrimination, to adopt all languages, including Tamil, as the medium of instruction for all entrance examinations and in all the respective places.

SHRI L. P. SHAHI: We are studying that aspect also. We have before us the figures of Unon Public Service Commission examinations which are held in all languages. Out of 1,52,000 candidates appearing at the UPSC examinations, only 8000 have preferred regional languages or Hindi as their medium to express themselves at the examination. That is the position. So in that light, we are studying that question and will take a decision in due time.

MR. CHAIRMAN: Mr. Ratnakar Pandey.

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, I raised my hand first.

MR. CHAIRMAN: I want to make it very clear that it is not decided on that basis. You must be knowing it. You are an old Member of the House. I have to decide it. Really who raises hand first and who raises hands afterwards is not the thing.

SHRI V. GOPALSAMY: I won't question your discretion.

SHRI N.K.P. SALVE: He is only challenging its exercise.

MR. CHAIRMAN: This helps.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Salve, there should be no discrimination.

SHRI DIPEN GHOSH: When you allowed the AIADMK Member, the DMK Members has to be allowed.

SHRI V. GOPALSAMY: Not that way. Mr. Dipen Ghosh, you are misleading. I have no grouse against Mr. Aladi.

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: There is no difference of opinion.

MR. CHAIRMAN: That is all right.

SHRI V. GOPALSAMY: We from Tamil Nadu are always discriminated a lot, I know.

MR. CHAIRMAN: "A" comes first; "D" comes afterwards.

SHRI V. GOPALSAMY: Every time I have experienced this. Sir, That is why I expressed.

MR. CHAIRMAN: I don't think you are just and right.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, इस प्रश्न विशुद्ध आफिशियल लैंग्वज, राजभाषा से सम्बन्धित है । जो हमारा एक्ट है, रूल है उसके तहत है और अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बहुतायत से जो वहां के कागजात हैं या वहां के जो एक्ट और रूल हैं वे सब अंग्रेजी में ही मुद्रित हैं । हिन्दी में राजभाषा का जो नियम हैं, अधिनियम है और एक्ट है उसके तहत अनेक बार आग्रह करने पर...

श्री सभापति : प्रश्न कीजिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : प्रश्न ही कर रहा हूं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नीति भी निर्धारित करता है और आर्थिक व्यवस्था भी करता है उसके भी सारे डाकुमेंट्स अंग्रेजी में हैं । क्या ये संस्थान और विश्वविद्यालय राजभाषा नीति के ऊपर स्थापित किये गये हैं और वहां राजभाषा हिन्दी को लागू करने की कोई योजना शिक्षा मंत्रालय के अधीन है और उस को कड़ाई के साथ लागू कराया जायेगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने हिन्दी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का विवरण दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्षेत्रवार जो विवरण दिया गया है उसमें अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित की हैं उसका भी विवरण दिया जाये ?

श्री एल० पी० साही : इसके लिए नोटिस चाहिए ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सभापति जी राजभाषा एक्ट विश्वविद्यालयों में लागू नहीं हो रहा है । सारे रूल्स और एक्ट विश्वविद्यालयों में केवल अंग्रेजी में हो रहे हैं, न क्षेत्रीय भाषाओं में हो रहे हैं न हिन्दी में ही रहे हैं और न भारतीय भाषाओं में हो रहे हैं । इस पर हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कर रहा है यह मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने जो दो शब्द में जवाब दे दिया था वह उचित नहीं था ।

MR. CHAIRMAN: He is asking specifically about the acts and regulations.

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह जो प्रश्न है माध्यम के सिलसिले में है शिक्षा के माध्यम के सिलसिले में है । विश्वविद्यालयों में दूसरे दस्तावेज हैं वे हिन्दी में नहीं है या दूसरी भाषाओं में नहीं हैं इसका ब्यौरा हमारे पास नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: He is asking about the acts and the regulations relating to those universities.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: That is what I am saying. Whether the universities have translated their regulations rules etc. into the concerned languages is an information which we do not have readily at the moment. We can get it and give him, Sir. There is no problem about that.

श्री भंवर लाल पंवार : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न का नोटिस आरिजनल हिन्दी में था इसलिए प्रश्नकर्ता को हिन्दी में ही प्रश्न करना चाहिए था ।

श्री सभापति : हिन्दी में ही प्रश्न किया था । सप्लीमेन्टरी में यह लागू नहीं होता ।

श्री भंवर लाल पंवार : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत सभी मंत्रालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां बनी हैं और हिन्दी की पुस्तकों के सम्बन्ध में विशेषकर विज्ञान और तकनीकी पुस्तकों के सम्बन्ध में भी राशि का निर्धारण किया गया । हिन्दी के सम्बन्ध में जितनी राशि इस के लिए निर्धारित की गयी है एक तो वह राशि और उस राशि के अंदर से हिन्दी अनुवाद के लिए और हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कितना खर्च हुआ है वास्तविक जानकारी अगर मंत्री महोदय दे दें तो पता लगेगा कि इस राजभाषा नियम के अन्तर्गत वाकई सरकार काम कर रही है ।

श्री एल० पी० साही : इसके अन्तर्गत प्रदेशों में, राज्य सरकारों के यहां, ग्रन्थ अकेडमियां बनी हुई हैं । हर अकेडमी को केन्द्रीय सरकार एक-एक करोड़ रुपया देती है और इस उपार्जित राशि से वे हर साल की पुस्तकें प्रकाशित करती हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमान, यह हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित प्रश्न है । मंत्रालय पुस्तकें प्रकाशित करता है या नहीं, इसका प्रश्न है... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : यह सवाल पुस्तकों के नम्बर का था ।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, how much time are we giving to this question?

SHRI K. MOHANAN: Sir, this is not an innocent and simple question. This is a sensitive and important question. People from non-Hindi States specially want to ask questions on this.

MR. CHAIRMAN: I am giving chance Bengal I have permitted, Tamil Nadu I have permitted and now I am asking J & K to put question.

SHRI N. E. BALARAM: What about Kerala, Sir?

MR. CHAIRMAN: Kerala? You have got a large number of books translated. *(Interruptions)*.

SHRI N. E. BALARAM: This is a policy question, Sir.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I would like to submit that two separate matters are being rolled into one while asking these supplementaries. The question pertains to the Indian languages, regional languages and Hindi as media of instruction at different levels of education. The Supplementary which is being asked is about the use of the Rajbhasa, the official language, for official purposes. These are two different things. We should not confuse the two. Let us confine our questions to the medium of instruction. Copious reply has been given; information has been given. If any further information is needed on that particular aspect, we are prepared to get it and give to the hon. Members. If you want to know how far the Official language, the Rajbhasha, is being used for official purposes, this Ministry is not directly concerned with it. But we are prepared to give information if we are given notice.

श्री धर्मचन्द प्रशांत : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं । जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं यह कहना चाहता कि हमारी हिन्दी की शब्दावली और प्रादेशिक भाषाओं की शब्दावली बहुत व्यापक है और उसमें कोई कमी नहीं है । लेकिन फिर भी हमारे देश के विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। चरक और सुश्रुत ने भी इस दिशा में बहुत व्यापक काम किया है । मैडिकल और सर्जरी, दोनों ही क्षेत्रों में हमारी टेक्नीकल शब्दावली में कोई कमी नहीं है । इस शब्दावली को किसी रूप में कम नहीं कहा जा सकता है । ऐसी स्थिति में यह जानना चाहता हूं कि हमारी राजभाषा जिसकी शब्दावली इतनी व्यापक है उसमें शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : हमारी साइंस और टेक्नोलोजी की कमैटी यही काम कर रही है ट्रांसलेशन वाला काम कर रही है। लेकिन केवल शब्दावली बनाने से काम नहीं चलेगा, केवल शब्दावली बनाने से यह काम पूरा नहीं होगा। इसके लिए पुस्तकें लिखी जानी चाहिए । जहां पूरे मेडिकल एजूकेशन के क्षेत्र में केवल 57 किताबें लिखी गई हों, कैसे हमारे मेडिकल कालेजों और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कालेजों में हिन्दी या दूसरी भाषाओं को लागू करें। यह बिलकुल सीधी-सीधी बात है ।

New Airports in the Country

*303. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the details of new airports which are likely to appear on the map of Indian Airlines or Vayudoot during the year 1988; and

(b) by when, Kolhapur and Akola in Maharashtra are likely to appear on the map of Vayudoot or Indian Airlines?